राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एंव पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.5 (254)निपेवि/नियम/05/पार्ट/एकल पत्रावली न.2/ 1113-807 दिनांक :– 24-04-2019

1. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत बैंक (समस्त)
   ....
2. कोषाधिकारी (समस्त)
   ....
3. अतिरिक्त निदेशक
   पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
   क्षे.का. (समस्त)...............................

विषयः– पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारंभ करने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पूर्व पत्र कमांक 1920–63 एच दिनांक 29.11.2010 एवं 1184–1244 एच दिनांक 17.05.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति पुनः संलग्न कर लेख है कि इस विभाग के परिपत्र कमांक 1920–63 एच दिनांक 29.11.2010 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के प्रकरण में जिसमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नि का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित है और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, उन प्रकरणों में पत्नि या पति, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारंभ करेगे।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए उक्त परिपत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएँ यदि बैंक के पास उपलब्ध हो तो उन प्रकरणों में संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन तत्काल प्रारंभ करेगे। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात बैंक द्वारा पेंशनर की पत्रावली मूल पी.पी.ओ., पेंशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पंजिका एवं डाटाबेस में आवश्यक प्रविष्टी या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी।

अतः इस विभाग के परिपत्र दिनांक दिनांक 29.11.2010 एवं पत्र दिनांक 17.05.2016 की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पं. 5 (254) निपेवि/नियम/05/पार्ट 1184-1244 H दिनांक 17-05-2016
कोषाधिकारी, (एक कम्प्यूटर-2)
....
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 5 (254) निपेवि/नियम/05/1920–1963 एच दिनांक 29.11.2010 द्वारा समस्त कोषाधिकारियों एंव बैकों को भेजकर यह लिखा गया था कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट–vi पब्लिक सेक्टर बैकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन संदाय के लिए स्कीम, के अनुच्छेद संख्या 15 में प्रावधान हैं। इसी क्रम में परिपत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के प्रकरण जिसमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, **उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।**

उक्त निर्देशों का उद्वेश्य यह था कि यदि पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु बैक के पास समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं हैं तो अविलम्ब बैंक अपने स्तर से ही पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ कर देगें।

पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों में हो रहे विलम्ब को न्यूनतम स्तर तक लाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.05.2016 को निदेशालय में बैंकर्स के साथ एक बैठक सम्पादित हुई। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ कोषाधिकारियों द्वारा बैंकों को मौखिक/लिखित यह आदेशित किया गया है कि बैंक पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने से पहले कोष कार्यालय से स्वीकृति/सहमति प्राप्त करेगी। इस प्रकार के आदेश विभाग के उक्त परिपत्र की भावना के विपरीत हैं एवं परिपत्र जारी करने के उद्वेश्य को ही समाप्त कर देते हैं। परिणामतः पारिवारिक पेंशन को स्वीकृत करने में अनावश्यक परिहार्य विलम्ब हो रहा है।

समस्त कोषाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए उक्त परिपत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं यदि बैंक के पास उपलब्ध हैं तो उन प्रकरणों में संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेगें। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात बैंक द्वारा पत्रावली मूल पीपीओ, पेंशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगी। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पंजिका एवं डाटा बेस में आवश्यक प्रविष्टि या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी। इसके लिए पारिवारिक पेंशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

अतः समस्त कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उक्त परिपत्र की पूर्णतः पालना की जा रही है ताकि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को समाप्त किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के.गैडियोक)
निदेशक

-(18)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.5(254)निपेवि/नियम/05/ 1920 – 1963-H दिनांकः 29/11/10

परिपत्र

विषयः पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

1. शासन के ध्यान में यह आया है कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट vi–पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम, के अनुच्छेद संख्या 15 में प्रावधान हैं। इस संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांकः136–175एच दिनांक 29.03.2005 एवं 19–65 एच दिनांक 06.01.2010 आदि जारी किए गये हैं ।

2. अतः पुनःनिर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण जिनमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामावली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रमाणित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने स्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।

3. बैंको द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के परिशिष्ट vi के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेंशनर के पति/पत्नी से निम्न दस्तावेज (सुविधा हेतु प्रारूप संलग्न) प्राप्त किये जायेंगेः–

(1) पारिवारिक पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र
(2) अनियोजन प्रमाण पत्र
(3) पुर्नविवाह/अविवाह का प्रमाण पत्र
(4) पारिवारिक पेंशन का आवेदन पत्र
(5) अन्य स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
(6) पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग
(7) पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

4. बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(i) पीपीओं के दोनों भागों (बोथ हाब्स) पर पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जायेंगे, जिसे शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(1)

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन संदाय आदेश संख्या__________ __________के धारक पेंशनर के पति/पत्नी श्री/श्रीमती __________ __________ (पारिवारिक पेंशनर का नाम) को देखा है और वह आज इस तारीख को जीवित है।

स्थान :
तारीख :

नाम __________
प्राधिकृत अधिकारी__________
पदनाम (मुहर) __________

(2)

अनियोजन प्रमाण पत्र

(क) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अक्टूबर, 20 ___में समाप्त हुए वर्ष के दौरान किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग या केन्द्रीय/राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी, संस्था आदि में, जो केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन हैं या जिसमें सरकार का सारवान वित्तीय हित है या जो अपने प्रशासनिक खर्च की पूर्ति करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में या जी आई सी/एल.आई.सी इत्यादि में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नियोजन/पुनः नियोजन/आमेलन के परिणामस्वरूप कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर__________
पेंशनर का नाम__________
पेंशनर संदाय आदेश सं__________

Revised vide order no. FM(15)F-1 (GET)/2007 dt. 21.1.2012.

"ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION

Application for a family pension for the family of late Shri/Smt............

(Designation)....................in the office/Department of..

1. Name of the applicant.
2. Relationship to the deceased Government servant/ pensioner.
3. Date of death of government Servant/pensioner.
4. Names and ages of surviving Kindred of the deceased, if spouse Is not alive.

	NAME	DATE OF BIRTH
Un-married sons		
Daughters including wi dowed/ divorced		

5. Name of treasury/ sub- treasury/ PSB branch at which payment is Desired.
6. Signature of left-hand thumb impression (in the case of those are not literate enough to sign their names).
7. Date of birth of window/widower/ guardian of The minor children of late..............
8. Full address of the applicant:

Date:

Signature of the applicant